

1 आपराधिक प्रकरण क्रमांक:-706 / 2016

न्यायालय:- प्रतिष्ठा अवस्थी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड (म0प्र0)

आपराधिक प्रकरण क्रमांक:-706 / 2016

संस्थित दिनांक:-15 / 11 / 16

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा पुलिस आरक्षी केंद्र,
गोहद जिला-भिण्ड म0प्र0

अभियोजन

बनाम्

1. बंटी माहौर पुत्र आदिराम माहौर उम्र 22 वर्ष
निवासी- नहर मोहल्ला इटायली गेट, गोहद जिला भिण्ड

आरोपी

(आरोप अंतर्गत धारा- 25 (1-बी) (बी) आयुध अधिनियम)
(राज्य द्वारा - एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार)
(आरोपी द्वारा - अधि0 श्री उदल सिंह गुर्जर)

// निर्णय //

// आज दिनांक 26.02.18 को घोषित किया //

आरोपी पर दिनांक 01.11.2016 को 19:50 बजे जेल के पास माता मंदिर गोहद में लोकस्थान पर आयुध अधिनियम 1959 की धारा 4 के अंतर्गत जारी म0प्र0 शासन की अधिसूचना क्र0 6312-6552-11-बी(1) दिनांक 22.11.1974 के उल्लंघन में वैध अनुज्ञप्ति के बिना एक लोहे की पुरानी धारदार तलवार अपने आधिपत्य में रखने हेतु आयुध अधिनियम की धारा 25 (1-बी) (बी) के अंतर्गत आरोप हैं।

2. संक्षेप मे अभियोजन घटना इस प्रकार है कि दिनांक 01.11.2016 को पुलिस थाना गोहद के आरक्षक भोला परस्ते की ड्यूटी डायल 100 पर थी। ड्यूटी के दौरान 19:35 बजे 100 डायल पर सूचना मिली थी कि जेल के पास काली माता के मंदिर पर एक लड़का उत्पात मचा रहा है। सूचना की तस्दीक व कार्यवाही हेतु वह मौके पर पहुंचा था, तो वहां एक लड़का लाल बनियान एवं काला पेंट पहने, हाथ में नंगी तलवार लिए हुए उधम कर रहा था, जिसे माता मंदिर के पुजारी नाथू कुशवाह एवं रवि गुर्जर के समक्ष पकड़ा था। नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम बंटी माहौर बताया था। आरोपी को वह मय तलवार एवं साक्षियों सहित थाना लेकर आया था। आरोपी से

2 आपराधिक प्रकरण क्रमांक:-706 / 2016

पुलिस थाना गोहद में तलवान की जब्ती की गई थी एवं तत्पश्चात् आरोपी के विरुद्ध अपराध क्र० 321 / 16 पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान साक्षीगण कथन लेखबद्ध किये गये थे एवं विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

3. उक्तानुसार आरोपी के विरुद्ध आरोप विरचित किये गये आरोपी को आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है आरोपी का अभिवाक अंकित किया गया।

4. द०प्र०सं० की धारा 313 के अन्तर्गत अपने अभियुक्त परीक्षण के दौरान आरोपी ने कथन किया है कि वह निर्दोष है उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है

5. इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुआ है—

1. क्या आरोपी ने दिनांक 01.11.2016 को 19:50 बजे जेल के पास माता का मंदिर गोहद में लोकस्थान पर आयुध अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत जारी म०प्र० शासन की अधिसूचना के उल्लंघन में वैध अनुज्ञप्ति के बिना एक लोहे की पुरानी धारदार तलवार अपने आधिपत्य में रखी ?

6. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में अभियोजन के ओर से रविकांत पाराशर अ०सा० 1, आरक्षक भोला सिंह परस्ते अ०सा० 2, नाथूराम अ०सा० 3 एवं उपनिरीक्षक शिवप्रताप सिंह कुशवाह अ०सा० 4 को परीक्षित कराया गया। जबकि आरोपी की ओर से बचाव में किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

{ निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण }

विचारणीय प्रश्न क्र०-1

7. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में उपनिरीक्षक शिवप्रताप सिंह कुशवाह अ०सा० 4 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि दिनांक 01.11.2016 को चालक रविकांत पाराशर एफ०आर०बी० ड्यूटी पर था, उसके साथ आरक्षक भोला परस्ते ड्यूटी पर थे। उन्हें डायल 100 पर सूचना प्राप्त हुई थी कि जेल के पास काली माता मंदिर के पास एक लड़का उत्पात मचा रहा है। वह लाल बनियान एवं काला पेंट पहने, हाथ में नंगी तलवार लेकर उधम कर रहा था, जिसे आरक्षक भोला परस्ते ने पकड़ा था। नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम बंटी माहौर बताया था। आरोपी को आरक्षक भोला परस्ते मय तलवार थाने लेकर आये थे। उसने आरोपी से थाने में लोहे की पुरानी तलवार जिसमें पकड़ने की मूठ लगी थी, जब्त कर जब्ती पंचनामा प्र०पी० 1 बनाया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनाम प्र०पी० 2 बनाया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। तत्पश्चात् उसने आरोपी के विरुद्ध प्र०पी० 5 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की थी, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर

3 आपराधिक प्रकरण क्रमांक:-706 / 2016

हैं। उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि आर्टिकल ए-1 की तलवान वही तलवार है, जो उसने आरोपी से जब्त की थी।

8. प्रतिपरीक्षण के पद क्र० 4 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि एफ०आई०आर० लिखने से पांच मिनट पहले भोला परस्ते व बंटी माहौर आ गये थे। पद क्र० 5 में उक्त साक्षी का कहना है कि बंटी माहौर जब थाने पर लाया गया था, तब उसके पास तलवान नहीं थी। तलवार स्टॉफ लेकर आया था, तलवार कौन लेकर आया था, उसे ध्यान नहीं है। पद क्र० 6 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि नाथूराम किस वाहन से आया था, उसे जानकारी नहीं है। स्टॉफ और बंटी माहौर के साथ नाथूराम भी आया था। बंटी माहौर से उसने कहा था कि तुमसे जो तलवार जब्त हुई है, वह लेकर आओ, तब बंटी माहौर ने उसे तलवार लाकर दी थी।

9. साक्षी रविकांत पाराशर अ०सा० 1 एवं भोला परस्ते अ०सा० 2 ने भी शिवप्रताप सिंह अ०सा० 4 के कथन का समर्थन किया है एवं घटना दिनांक को जेल के पास काली माता मंदिर के पास जाने तथा आरोपी को मय तलवार थाने लेकर आने बावत् प्रकटीकरण किया गया है। रविकांत पाराशर अ०सा० 1 ने जब्ती पंचनामा प्र०पी० 1 एवं गिरफ्तारी पंचनामा प्र०पी० 2 के क्रमशः ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है।

10. साक्षी नाथूराम अ०सा० 3 द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं घटना की जानकारी न होना बताया है। उक्त साक्षी ने मात्र जब्ती पंचनामा प्र०पी० 1 एवं गिरफ्तारी पंचनामा प्र०पी० 2 के क्रमशः बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि उसके सामने पुलिस ने बंटी से लौहे की तलवार जब्त की थी एवं इस सुझाव से भी इंकार किया है कि पुलिस ने उसके सामने आरोपी को गिरफ्तार किया था।

11. तर्क के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षीगण के कथन परस्पर विरोधाभासी रहे हैं। अतः अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता।

12. प्रस्तुत प्रकरण में यह उल्लेखनीय है कि उपनिरीक्षक शिवप्रताप अ०सा० 4, जो कि जब्तीकर्ता है, घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है। उसने आरोपी बंटी को जेल के पास माता के मंदिर के पास तलवार लिए हुए नहीं देखा था। अभियोजन कहानी के अनुसार आरक्षक भोला परस्ते आरोपी का मय तलवार थाने लेकर आया था एवं शिवप्रताप सिंह कुशवाह अ०सा० 4 ने थाने पर आरोपी से तलवार जब्त की थी। शिवप्रताप सिंह कुशवाह अ०सा० 4 ने अपने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि आरक्षक भोला परस्ते आरोपी को मय तलवार थाने लेकर आया था एवं उसने थाने पर आरोपी से तलवार जब्त कर जब्तीपंचनामा प्र०पी० 1 बनाया था। प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि जब बंटी को थाने पर लाया गया था, तब उसके पास तलवार नहीं थी, तलवार स्टॉफ लेकर आया था, तलवार कौन लेकर आया था ?, उसे ध्यान नहीं है। इसके तुरंत पश्चात् ही उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि उसने बंटी माहौर से तलवार लाने के लिए कहा था, तो बंटी माहौर ने उसे तलवार लाकर दी थी। इस प्रकार साक्षी उपनिरीक्षक शिवप्रताप सिंह अ०सा० 4 के कथनों से यह दर्शित है कि उक्त साक्षी द्वारा एक ही बिन्दु पर परस्पर विरोधाभासी कथन दिये गये हैं। उक्त साक्षी द्वारा एक तरफ तो यह व्यक्त किया गया है कि बंटी के पास

4 आपराधिक प्रकरण क्रमांक:-706 / 2016

तलवार नहीं थी तथा तलवार स्टॉफ लेकर आया था, वहीं दूसरी तरफ उक्त साक्षी का यह भी कहना है कि उसने बंटी से तलवार लाने के लिए कहा था, तो बंटी ने उसे तलवार लाकर दी थी। इस प्रकार उक्त बिन्दु पर साक्षी शिवप्रताप अ0सा0 4 के कथन अपने परीक्षण के दौरान परस्पर विरोधाभासी रहे हैं। उक्त साक्षी द्वारा एक ही बिन्दु पर परस्पर विरोधाभासी कथन दिये गये हैं, जो अभियोजन घटना को संदेहास्पद बना देते हैं।

13. जहां तक साक्षी रविकांत पाराशर अ0सा0 1 एवं भोला सिंह परस्ते के कथन का प्रश्न है तो रविकांत पाराशर अ0सा0 1 ने न्यायालय के समक्ष अपने मुख्य परीक्षण में यह व्यक्त किया है कि घटना वाले दिन वह आरक्षक भोला परस्ते के साथ गोहद चौराहे पर ड्यूटी कर रहा था, तभी उसे सूचना मिली थी कि काली माता मंदिर जेल के पास कुछ लोग शराब पीकर उधम कर रहे हैं, सूचना की तस्दीक हेतु वह बताये हुए स्थान पर पहुंचा था, तो वहां आरोपी बंटी शराब पीकर नाथूसिंह कुशवाह से जमीन के विवाद पर झगड़ा करते हुए मिला था। आरोपी की मोटरसाईकिल पर तलवार लगी हुई थी फिर उसने आरोपी को मय तलवार गाड़ी बिठाकर थाने पर छोड़ दिया था। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर प्रश्न सूचक पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि वह जब काली माता मंदिर के पास पहुंचे थे तो वहां एक व्यक्ति हाथ में नंगी तलवार लिए हुए जोर जोर से चिल्ला रहा था एवं यह भी स्वीकार किया है कि आरक्षक भोला परस्ते ने पुजारी नाथूसिंह एवं रवि गुर्जर के समक्ष उस व्यक्ति को पकड़ा था। उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया था कि आरोपी के पास तलवार रखने बावत् लाईसेंस नहीं थी। प्रतिपरीक्षण के पद क्र0 3 ने उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि तलवार मोटरसाईकिल में लगी थी। मौके पर कोई लिखा पढ़ी नहीं हुई थी, थाने पर लिखा पढ़ी की थी। उसे नाथूराम कुशवाह ने बताया था कि बंटी और उसके मध्य रास्ते का विवाद चल रहा था। पद क्र0 4 में उक्त साक्षी का कहना है कि नाथूराम कुशवाह और रवि थोड़ी देर बाद थाने आ गये थे। थाने पर तलवार की लिखा पढ़ी हुई थी और क्या लिखा पढ़ी हुई थी, उसे ध्यान नहीं है। उसका काम तो छोड़ने का होता है, वह मुल्जिम को थाने छोड़कर आ गये थे। आधा पौने घंटे बाद वह जब वापस पहुंचे थे, तब तक पुलिस ने लिखा पढ़ी कर ली थी, उसने तो मात्र कागजों पर हस्ताक्षर किये थे।

14. इस प्रकार रविकांत पाराशर अ0सा0 1 ने अपने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि उसे काली माता मंदिर के पास आरोपी बंटी शराब पीकर नाथू कुशवाह से जमीन के विवाद पर झगड़ा करते हुए मिला था, परन्तु यह बात आरक्षक भोला परस्ते अ0सा0 2 एवं नाथू अ0सा0 3 द्वारा नहीं बताई गई है, न ही इस तथ्य का उल्लेख रविकांत पाराशर अ0सा0 1 के पुलिस कथन प्र0पी0 3 में है। रविकांत पाराशर के पुलिस कथन प्र0पी0 3 में यह वर्णित नहीं है कि आरोपी नाथूराम कुशवाह से झगड़ा कर रहा था। इसके अतिरिक्त रविकांत पाराशर अ0सा0 1 ने अपने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि तलवार आरोपी की मोटरसाईकिल में लगी हुई थी लेकिन उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण किया गया है, तब उक्त साक्षी द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि आरोपी हाथ में नंगी तलवार लिए हुए जोर जोर से चिल्ला रहा था एवं उक्त साक्षी का बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा प्रतिपरीक्षण किया गया है, तो उक्त साक्षी ने यह व्यक्त किया है कि तलवार आरोपी की मोटरसाईकिल में लगी हुई थी, इस प्रकार साक्षी रविकांत पाराशर अ0सा0 1 के कथन से यह दर्शित है कि उक्त साक्षी अपने परीक्षण के दौरान अपने कथनों पर स्थिर नहीं रहा है।

5 आपराधिक प्रकरण क्रमांक:-706 / 2016

उक्त साक्षी द्वारा न्यायालय के समक्ष अपने कथन में एक ही समय में एक बिन्दु पर परस्पर भिन्न भिन्न कथन दिये गये हैं। उक्त साक्षी द्वारा यह भी व्यक्त किया गया है कि वह आरोपी को थाने छोड़कर चला गया है तथा जब वह वापस आया था, जब तक पुलिस ने लिखा पढ़ी कर ली थी एवं उसने मात्र कागजों पर हस्ताक्षर किये थे। साक्षी के उक्त कथन से यही प्रकट होता है कि उक्त साक्षी के समक्ष जब्ती पंचनामा प्र०पी० 1 एवं गिरफ्तारी पंचनामा प्र०पी० 2 की लिखा पढ़ी नहीं हुई थी एवं उक्त साक्षी द्वारा मात्र जब्ती पंचनामा प्र०पी० 1 एवं गिरफ्तारी पंचनामा प्र०पी० 2 पर बाद में हस्ताक्षर किये गये थे। उपरोक्त तथ्य जब्ती की कार्यवाही को संदेहास्पद बना देते हैं।

15. साक्षी रविकांत पाराशर अ०सा० 1 ने अपने कथन में यह बताया है कि तलवार आरोपी की मोटरसाईकिल में लगी थी, जबकि भोलासिंह परस्ते अ०सा० 2 द्वारा यह व्यक्त किया है कि आरोपी हाथ में नंगी तलवार लिए हुए था। साक्षी रविकांत पाराशर अ०सा० 1 द्वारा यह भी व्यक्त किया गया है कि नाथू कुशवाह और रवि उसके थाने आने के थोड़ी देर बाद थाने पर आ गये थे, जबकि शिवप्रताप सिंह अ०सा० 4 का कहना है कि स्टॉफ एवं बंटी माहौर के साथ ही नाथूराम भी आया था, इस प्रकार उक्त बिन्दुओं पर साक्षी रविकांत पाराशर अ०सा० 1 के कथन, भोला सिंह परस्ते अ०सा० 2 एवं शिवप्रताप सिंह अ०सा० 4 के कथन से विरोधाभासी रहे हैं, जो अभियोजन घटना को संदेहास्पद बना देते हैं।

16. साक्षी भोला सिंह परस्ते अ०सा० 2 ने अपने कथन में यह बताया है कि घटना वाले दिन उसकी जायल 100 पर ड्यूटी थी एवं उसे मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि काली माता मंदिर के पास एक लड़का तलवार लिए घूम रहा है, सूचना की तत्दीक हेतु वह मुखबिर के बताये स्थान पर पहुंचा था, तो उसे आरोपी हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मिला था। प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया था कि आरोपी तलवार लिए हुए खड़ा था, उसके पास मोटरसाईकिल नहीं थी। वह लोग थाने पर एक-दो घंटे रुके थे, ऐसा नहीं हुआ था कि वह थाने पर बंटी को लेकर आये हों, और उन्हें तत्काल ही दूसरा पोईंट मिल गया हो।

17. इस प्रकार साक्षी भोला सिंह परस्ते अ०सा० 2 द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि आरोपी के पास मोटरसाईकिल नहीं थी, एवं आरोपी उन्हें हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मिला था, जबकि साक्षी रविकांत पाराशर का कहना है कि तलवार आरोपी की मोटरसाईकिल में लगी थी। भोला सिंह परस्ते अ०सा० 2 द्वारा यह भी व्यक्त किया गया है कि आरोपी को थाने पर लाने के पश्चात् वह एक-दो घंटे थाने पर रुके थे, जबकि रविकांत पाराशर अ०सा० 1 का कहना है कि आरोपी को थाने छोड़कर वह तुरंत ही दूसरे पोईंट पर चले गये थे। इस प्रकार साक्षी भोला सिंह परस्ते अ०सा० 2 के कथन रविकांत पाराशर अ०सा० 1 के कथन से परस्पर विरोधाभासी रहे हैं, उक्त तथ्य अभियोजन घटना संदेहास्पद बना देते हैं।

18. अभियोजन कहानी के अनुसार आरोपी जेल के पास माता के मंदिर के पास तलवार लिए हुए मिला था, परन्तु आरोपी से जेल के पास माता के मंदिर के पास कोई जब्ती नहीं की गई है, उक्त संबंध में कोई पंचनामा भी नहीं बनाया गया है। आरक्षक भोला परस्ते एवं रविकांत पाराशर ने जेल के पास माता के मंदिर के पास आरोपी को तलवार सहित पकड़ना बताया है, परन्तु उक्त संबंध में कोई रोजनामचा सान्हा अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। यह तथ्य भी अभियोजन घटना को संदेहास्पद बना देता है।

6 आपराधिक प्रकरण क्रमांक:-706 / 2016

19. समग्र अवलोकन से यह दर्शित है कि प्रकरण में जब्तीकर्ता शिवप्रताप सिंह अ0सा0 4 मौके पर प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है। उसके द्वारा मात्र थाने पर जब्ती पंचनामा प्र0पी0 1 एवं गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी0 2 की लिखा पढ़ी की गई है। उक्त साक्षी के कथन अपने परीक्षण के दौरान परस्पर विरोधाभासी भी रहे हैं। साक्षी नाथूराम अ0सा0 3 द्वारा भी अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं घटना की जानकारी न होना बताया गया है। साक्षी रविकांत पाराशर अ0सा01 एवं भोला सिंह परस्ते अ0सा0 2 के कथन भी अपने परीक्षण के दौरान तात्विक बिंदुओं पर अत्यंत विरोधाभासी रहे हैं। उक्त साक्षीगण के कथन तात्विक बिंदुओं पर शिवप्रताप सिंह अ0सा0 4 के कथन से भी परस्पर विरोधीभासी रहे हैं। प्रकरण में मौके पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। रोजनामचा सान्हा भी प्रकरण में संलग्न नहीं है। जब्ती की कार्यवाही भी संदेहास्पद है। ऐसी स्थिति में अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है एवं आरोपी को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है।

20. यह अभियोजन का दायित्व है कि वह आरोपी के विरुद्ध अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित करें। यदि अभियोजन आरोपी के विरुद्ध अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल होता है तो संदेह का लाभ आरोपी को दिया जाना उचित है।

21. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने दिनांक 01.11.2016 को 19:50 बजे जेल के पास माता मंदिर गोहद में लोकस्थान पर आयुध अधिनियम 1959 की धारा 4 के अंतर्गत जारी म0प्र0 शासन की अधिसूचना क्र0 6312-6552-11-बी(1) दिनांक 22.11.1974 के उल्लंघन में वैध अनुज्ञप्ति के बिना एक लोहे की पुरानी धारदार तलवार अपने आधिपत्य में रखी। फलतः यह न्यायालय आरोपी बंटी माहौर को संदेह का लाभ देते हुए उसे आयुध अधिनियम की धारा 25 (1-बी) (बी) के आरोप से दोषमुक्त करती हैं।

22. आरोपी पूर्व से जमानत पर है उसके जमानत एवं मुचलके भारहीन किये जाते हैं।

23. प्रकरण में जब्तशुदा लोहे की तलवार अपील अवधि पश्चात तोड़ तोड़ कर नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जावे।

स्थान:- गोहद,

दिनांक:-26.02.18

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर,
खुले न्यायालय में घोषित किया गया

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

सही/-

(प्रतिष्ठा अवस्थी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)

सही/-

(प्रतिष्ठा अवस्थी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

जानकारी हेतु प्र
क उपयोग